

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर**  
क्रमांक :- ई-18/एम/एफ.23369/जोन-उदयपुर/2025/38 दिनांक : 13/02/2025

**आदेश**

निम्नलिखित कार्मिकों द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से.नि. तिथि
1.	श्री भंवर लाल बैरवा, सहा० प्रशा० अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ।	01.07.1965	30.06.2025
2.	श्री मोहन लाल मीणा, सहा० प्रशा० अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, सलूमबर।	16.08.1965	31.08.2025

**यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-**

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एफ.23369/जोन-उदयपुर/2025/38  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ/सलूमबर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, सलूमबर।
4. प्रभारी, डीपीसी (अराजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. सम्बन्धित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :11-02-2025 06:14:46